

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या-~~1~~/XVII-2/14-01(35)/2013
देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2014

विज्ञापित

उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नियम-6 पुरस्कार की धनराशि को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान नियम

"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय"।

संशोधित नियम

"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल पचास हजार रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय"।

- 2- उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे।
3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-81/XXVII(1)/2014 दिनांक 23 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-128 (1)/XVII-2/14-01(35)/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।

Dy. Dir
G. P.
Dimitar
11/2/14

A.O.
Dy. Dir
11/2/14

पृष्ठांकन संख्या- (1)/XVII-2/14-01(35)/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने तथा गजट प्रकाशन के पश्चात उक्त विज्ञप्ति की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।